अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

A5
7

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 24/12

रामकुमार पुत्र श्री मंगतूराम पुत्र पतराम जाति कुम्हार निवासी गली नं0 2, मकान नं0 6/2335 अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

अपीलांट

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये उप तहसीलदार, सादुलशहर
2. मनी देवी पत्नी मंगतूराम कुम्हार निवासी धर्मनगरी गली नं0 2 म0 न0 बी–6/2335, अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
3. कृष्णादेवी पुत्री मंगतराम पत्नी दिवान जाति कुम्हार निवासी डंगरखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का
4. मायादेवी पुत्री मंगतराम पत्नी भागीरथ जाति कुम्हार निवासी संपावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का
5. लिछमा रानी पुत्री मंगतराम पत्नी रामकुमार जाति कुम्हार निवासी संपावाली तहसील अबोहर
6. सुनीता रानी पुत्री मंगतराम पत्नी जगदीश जाति कुम्हार निवासी सपांवाली तह0 अबोहर जिला फाजिल्का
7. परमेश्वरी देवी पुत्री मंगतराम पत्नी बृजलाल जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र जिला हनुमानगढ
8. सावित्री देवी पत्नी मालाराम पुत्री पतराम जाति कुम्हार निवासी सिंहपुरा तह0 व जिला फाजिल्का

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व इंतकाल सं0 230 दिनांक 30–10–03 तहसीलदार, सादुलशहर

उपस्थित : श्री सुरेश अरोड़ा अधिवक्ता, अपीलांट
श्री चरणदास कम्बोज़, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं0 2–4–6
श्री नरेन्द्र सकलानी, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 5–7–8

आदेश दिनांकः 24–6–16

प्रस्तुत अपील लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई। हस्तगत अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट के परदादा शेराराम के नाम से चक 8 एस डी पी तह0 सादुलशहर के खाता सं0 66/54 में 12–10 बीघा व चक 6 एसडीपी के खाता सं0 45/38 मु0 नं0 31 में 5 बीघा भूमि संयुक्त खाता में खातेदारी दर्ज थी तथा उसका देहान्त हो गया। इसमें अपीलांट का जद्दी जायदाद होने से जन्म से हक व हिस्सा बना। पतराम अपीलांट के दादा के नाम से चक 8 एस डी पी

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

A5/2

की भूमि में 15,10/20 हिस्सा दर्ज हुआ। पतराम का देहान्त हो गया और उसके दो पुत्र लालूराम व मंगतराम तथा चार पुत्रियॉ रूकमा, परमेश्वरी, बालो व सावित्री हुए तथा पतराम के नाम से दर्ज आराजी के ये सभी बहिस्सा बराबर–2 के हकदार हुए। पतराम के पुत्र मंगतराम का भी देहान्त हो गया, उसके 1/6 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा बना। मगर राजस्व रेकार्ड में मनीदेवी के नाम से दर्ज करवा लिये जाने के कारण जब अपीलांट को पता चला तो उसने एक दावा उपजिलाधीश, सादुलशहर के न्यायालय में धारा 88–91–188–92 व 183 आर टी एक्ट का पेश किया। तत्पश्चात् कानूनी राय लेकर अपील प्रस्तुत कर दी। किसी प्रकार से पतराम को जद्दी जायदाद का विभाजन करके मनी देवी कोजमीन 12,10/10 हिस्सा देने का कोई हक व अधिकार कानूनन नहीं था। उप तहसीलदार द्वारा विभाजन का आदेश कमांक 233 दिनांक 8–7–03 पारित किया गया है, वह मिलीभगत से गलत पारित किया गया है। अपीलांट ने एक फौजदारी मुकदमा जरिये एफ आई आर 133 दिनांक 20–6–11 को दर्ज करवाया गया है जो बाद जॉच चालान मनीराम, व फकीरमोहम्मद उप तहसीलदार के खिलाफ न्यायालय में पेश होकर मामला विचाराधीन है। अपीलाधीन इंतकाल दर्ज करने से पूर्व कानूनी अथवा न्यायिक प्रकिया का पालन नहीं किया गया है। सभी प्रभावित पक्षकारों को सुना नहीं गया है। लैण्ड रेकार्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। इस प्रकार, निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

अपील से संबंधित मूल रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमो व वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि अपीलांट के परदादा शेराराम के नाम से चक 8 एस डी पी तह0 सादुलशहर के खाता सं0 66/54 में 12–10 बीघा व चक 6 एसडीपी के खाता सं0 45/38 मु0 नं0 31 में 5 बीघा भूमि संयुक्त खाता में खातेदारी दर्ज थी। शेराराम का देहान्त हो गया। जद्दी जायदाद होने से अपीलांट का जन्म से हक व हिस्सा बना। पतराम अपीलांट के दादा के नाम से चक 8 एस डी पी की भूमि में 15,10/20 हिस्सा दर्ज हुआ। पतराम का देहान्त हो गया और उसके दो पुत्र लालूराम व मंगतराम तथा चार पुत्रियॉ रूकमा, परमेश्वरी, बालो व सावित्री हुए तथा पतराम के नाम से दर्ज आराजी के ये सभी बहिस्सा बराबर–2 के हकदार हुए। पतराम के पुत्र मंगतराम का भी देहान्त हो गया, उसके 1/6 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा बना। मगर राजस्व रेकार्ड में मनीदेवी के नाम से दर्ज करवा लिये जाने के कारण जब अपीलांट को पता चला तो उसने एक दावा उपजिलाधीश, सादुलशहर के न्यायालय में धारा 88–91–188–92 व 183 आर टी एक्ट का पेश किया। किसी प्रकार से पतराम को जद्दी जायदाद का विभाजन करके मनी देवी को जमीन 12,10/10 हिस्सा देने का कोई हक व अधिकार कानूनन नहीं था। उप तहसीलदार द्वारा विभाजन का आदेश कमांक 233 दिनांक 8–7–03 जो पारित किया गया है, वह मिलीभगत से गलत पारित किया गया है। अपीलांट ने एक फौजदारी मुकदमा जरिये एफ आई आर 133 दिनांक 20–6–11 को दर्ज करवाया गया है जो बाद जॉच चालान मनीराम, व फकीरमोहम्मद उप तहसीलदार के खिलाफ न्यायालय में पेश होकर मामला विचाराधीन है। अपीलाधीन इंतकाल दर्ज करने से पूर्व कानूनी अथवा न्यायिक प्रकिया का पालन नहीं किया गया है। सभी प्रभावित पक्षकारों को सुना नहीं गया है। लैण्ड रेकार्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अपीलाधीन इंतकाल विभाजन आदेश कमांक 233 दिनांक 8–7–03 की पालना दर्ज किया गया है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

A6
3

विभाजन आदेश पक्षकारों की आपसी सहमति व रजामंदी से पारित किया गया है इसलिए सहमति के आधार पर पारित किया गया विभाजन के आदेश के आधार पर दर्ज इंतकाल के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने का अधिकार अपीलांट को नहीं है। अपील सारहीन है । अतः खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलांट के परदादा शेराराम के नाम से चक 8 एस डी पी तह0 सादुलशहर के खाता सं0 66/54 में 12–10 वीघा व चक 6 एसडीपी के खाता सं0 45/38 मु0 नं0 31 में 5 वीघा भूमि संयुक्त खाता में खातेदारी दर्ज थी । शेराराम का देहान्त होने के बाद जद्दी जायदाद होने से अपीलांट का जन्म से हक व हिस्सा बना। पतराम अपीलांट के दादा के नाम से चक 8 एस डी पी की भूमि में 15,10/20 हिस्सा दर्ज हुआ। पतराम का देहान्त हो गया और उसके दो पुत्र लालूराम व मंगतराम तथा चार पुत्रियॉ रूकमा, परमेश्वरी, वालो व सावित्री हुए तथा पतराम के नाम से दर्ज आराजी में ये सभी वहिस्सा वरावर–2 के हकदार हुए। पतराम के पुत्र मंगतराम का भी देहान्त हो गया, उसके 1/6 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा बना। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जद्दी जायदाद के विभाजन के आदेश के आधार पर अपीलाधीन इंतकाल दर्ज किया गया है जो केवल मनीदेवी के नाम से दर्ज किया गया है जबकि जद्दी जायदाद में पतराम के सभी वारिसान वरावर के हकदार थे। एक दावा उपजिलाधीश, सादुलशहर के न्यायालय में धारा 88–91–188–92 व 183 आर टी एक्ट का विचाराधीन है। पतराम को जद्दी जायदाद का विभाजन करके मनी देवी को जमीन 12,10/10 हिस्सा देने का कोई हक व अधिकार कानूनन नहीं था। उप तहसीलदार द्वारा किया गया विभाजन का आदेश कमांक 233 दिनांक 8–7–03 को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। अपीलांट ने एक फौजदारी मुकदमा जरिये एफ आई आर 133 दिनांक 20–6–11 को दर्ज करवाया गया है जो बाद जॉच चालान मनीराम, व फकीरमोहम्मद उप तहसीलदार के खिलाफ न्यायालय में पेश होकर मामला विचाराधीन है। अपीलाधीन इंतकाल क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दर्ज किया गया है तथा सभी प्रभावित पक्षकारों को सुना नहीं गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल सं0 230 दिनांक 30–10–03 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों को दृष्टिगत रखते हुए, पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् आदेश पारित करें। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21–7–2016 को उपस्थित हों। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 24–6–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कर्णसिंह गोठवाल)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)
24/6/16

Scanned by CamScanner